कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री सॉवरा, 30 / 19, महेश्वरी मोहाल, कानपुर।**

प्रार्थना पत्र संख्या **64 / 11**

प्रार्थी की ओर से **श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-64 / 11, दिनांक 07.07.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **PP (Plastics) Non-Woven Fabrics से बने बैग (झोलों)** पर कर की दर जाननी चाही गयी है?

2. फर्म की ओर से श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि वह PP (Plastics) Non-Woven Fabrics से बने बैग्स के निर्माण एवं बिक्री का कार्य करते हैं तथा उनके द्वारा निर्मित उक्त झोले उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-233 के अन्तर्गत आते हैं। अवगत कराया कि उक्त PP (Plastics) Non-Woven Fabrics है जो फाइबर ग्रेड पाली पालीथीन से तैयार कराके बनाये जाते हैं। PP से बनाये जाने के कारण यह Non-Woven Fabrics Plastics की श्रेणी में आती है तथा इससे निर्मित बैग्स प्लास्टिक बैग्स हैं। Non-Woven Plastics Fabrics Textile की श्रेणी में भी आती है तथा इसका मुख्य रॉ मैटेरियल P.P. Chips / Granules है। अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष उक्त बैग्स के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन था जिसमें रिट कर्ता द्वारा उक्त झोलों को प्लाास्टिक बैग से भिन्न मानते हुए उच्च न्यायालय, दिल्ली में रिट संख्या-WP (C) 8120 / 2009 सर्वश्री PRAVEEN MITTAL vs. DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GOVT OF NCT OF DELHI प्रायोजित की गयी थी कि चूँकि पीपी बैग्स प्लास्टिक बैग्स नहीं हैं अत: Environment (Protection) Act, 1986 के अन्तर्गत उन पर बैन नहीं लगना चाहिए, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा उक्त रिट में उक्त पीपी बैग्स को प्लास्टिक बैग्स न मानने से इन्कार कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया है कि non-woven bags में 98.3% पालीप्रापलीन (Polypropylene) होती है। Polypropylene एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसके बहुत से उपयोग होते हैं। Polypropylene fibre से non-woven bags बनते हैं तथा Polypropylene film से साधारणतया समझे जाने वाले प्लास्टिक बैग्स बनते हैं। अत: Polypropylene fibre अथवा Polypropylene film दोनों प्रकार के बने बैग्स प्लास्टिक बैग्स की श्रेणी में आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि प्लास्टिक बैग्स चाहे porous हों, या Textile हों या non-woven Polypropylene bags, प्लास्टिक बैग्स का विकल्प हों, इन बातों से इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि non-woven fabrics से बने झोले भी **" प्लास्टिक बैग्स "** की श्रेणी में आते हैं। अवगत कराया गया कि सर्वश्री पिंक पेटल्स-डी-59 / 37, बी-महमूरगंज, वाराणसी (धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-74 / 09) के धारा-59 के आदेश दिनांक 29.03.10 के तथ्य प्रस्तुत वाद के तथ्य से भिन्न हैं क्योंकि उक्त मामले में non-woven fabrics से बने झोले को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-119 में माने जाने का अनुरोध किया गया था जिसमें केवल " Narrow woven fabrics, Non-woven fabrics, Cotton Coated fabrics " अर्थात् केवल fabrics का उल्लेख था परन्तु fabrics से बने उत्पाद का उल्लेख नहीं था। अत: व्यापारी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया था। चूँकि उक्त मामले में उठाया गया प्रश्न

.....2

विचाराधीन मामले में उठाये गये प्रश्न से भिन्न था अत: सर्वश्री पिंक पेटल्स-डी-59 / 37, बी-महमूरगंज, वाराणसी (धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या 74 / 09) के वाद में पारित किया गया निर्णय विचाराधीन मामले में लागू नहीं होता है । व्यापारी द्वारा पीपी fabric के non-woven fabric होने के सम्बन्ध में Wikipedia के कुछ अंश प्रस्तुत किये गये हैं जिसके अनुसार " Nonwoven fabric is a fabric-like material made from long fibres, bonded together by chemical, mechanical, heat or solvent treatment. The term is used in the textile manufacturing industry to denote fabrics..... Nonwoven fabrics are broadly defined as sheet or web structures bonded together by entangling fibre or filaments (and by perforating films) mechanically, thermally or chemically. **They are flat, porous sheets that are made directly from separate fibres or from molten plastic or plastic film** "

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-233 निम्नवत् है :-

233	Polythene bags, **plastic bags**, pouches and closures.

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि दिनांक 29.03.10 (धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या 74 / 09 सर्वश्री पिंक पेटल्स-डी-59 / 37, बी-महमूरगंज, वाराणसी) में पारित निर्णय प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि इस मामले में उठाये गये तथ्य एवं तर्क पूर्व मामले के समय नहीं रखे गये थे । माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 28.08.09 के निर्णय द्वारा non-woven polypropylene fabric से बने बैग्स को निम्नलिखित Observations के साथ **" प्लास्टिक बैग्स "** की श्रेणी में मानने का निर्णय निर्गत किया गया है :

> "In any event, **the petitioner's non-woven polypropylene bags would be covered in the expression "all kinds of plastic bags" as appearing in paragraph 2 of the said notification.** ...The argument that the petitioner's product is porous and that water can pass through the same is of no consequence because that is not the consideration... Paragraph 2 of the said notification, as already indicated above, refers to "all kinds of plastic bags. Once the petitioner's product falls withibn the ambit of "plastic bags", **it is immaterial as to whether it is porous or whether it is a textile. ...the non woven polypropylene plastic bags are plastic bags in themselves."**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-233 के अन्तर्गत **" प्लास्टिक बैग्स "** को सम्मिलित किया गया है । अत: माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के उपरोक्त निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए यह मानना उचित होगा कि non-woven polypropylene fabric से बने झोले उत्तर

.....3

<u>सर्वश्री सॉवरा / प्रा0 पत्र सं0-64 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-3</u>

प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-233 के अन्तर्गत " **प्लास्टिक बैग्स** " की श्रेणी में आते है । अत: **Non-Woven Polypropylene Fabrics से बने बैग (झोलों)** पर 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है ।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 25 अक्टूबर, 2011

ह0 / 25.10.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।